

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made

12

Promotion:

Prosthetic Technician (Grade-I) with five years' regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their promotion period, if prescribed.

Transfer on Deputation:

Officers under the Central Government:-

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or
(ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and
(b) possessing the following educational qualifications and experience:—

Essential:

(A) Degree in Prosthetics and Orthotics from a recognised University/Institute or equivalent.

or

- (B) (i) Diploma in Prosthetics and Orthotics from a recognised university/Institute or equivalent.
(ii) 2 years' experience of working in a Prosthetics Workshop.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.)

If Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion)
—Director, Jawaharlal Institute of Post graduate Medical Education and Research—Chairman
—Dean —Member
—Head of the Department concerned—Member
—Deputy Director (Administration)—Member

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No.A-12018/22/92-RR(ME(PG))
R.L. MALHOTRA, Desk Officer.

नई दिल्ली, 8 जून, 1995

सांख्यानिक 301.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, तथा कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (समूह "क" राजपत्रित) भर्ती नियम, 1987 को, जहाँ तक उनका संबंध परिचर्या अधीक्षक के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिग्रहण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल में परिचर्या अधीक्षक के समूह "क" पद पर भर्ता की पञ्चति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (परिचर्या अधीक्षक) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन का तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपायुक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं और उमरों संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्हरता : वह व्यक्ति :—

(क) जिमने ऐसे व्यक्ति से, जिमका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिमने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करण के लिए अन्य आधार ह तो वह किसी व्यक्ति का इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उनमें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की भावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई शान, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा की छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में लिये गए वर्षों का क्रायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा
1	2	3	4	5	6	7
परिचर्या अधीक्षक	*2 (दो) (1995)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित/अनुसू- चित्वाय	2200-75-2800- द. रं.-100- 4000 रु.	चयन नहीं	तहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अन्व- धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (त कि वह अन्तिम तारीख)

*कार्यभार के आधार पर
परिवर्तन किया जा सकता है।

जो असम, मेघालय, शारणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के नाहाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या नक्षत्रद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो

8

9

10

आवश्यक :

- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परिचर्या में मास्टर/परिचर्या में एम. एम. सी. डिग्री या समतुल्य।
- (2) उसे रजिस्ट्रीकृत नर्स और रजिस्ट्रीकृत सेविका (मिडवाइफ) होनी चाहिए।
- (3) किसी अस्पताल/परिचर्या गृह में परिचर्या में तीन वर्ष का अनुभव।

आयु : नहीं

शैक्षिक अर्हताएं : नहीं।

किन्तु उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से परिचर्या शिक्षा प्रणामन में डिप्लोमा या बी. एस. सी. परिचर्या होना चाहिए। तथा उसे रजिस्ट्रीकृत सेविका (मिडवाइफ) होनी चाहिए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले

व्यक्तियों के लिए एक वर्ष और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

टिप्पण :—अर्हताएं अन्यथा नुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है, कि उनके लिए आरक्षित व्यक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती को पदवृत्ति/भर्ती सीटें होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पदवृत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

11

12

प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति : लेडी हाडिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती बाल सरन अस्पताल में ऐसा उप परिचर्या अधीक्षक, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; जिसके न हो सकने पर लेडी हाडिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल में ऐसा उप परिचर्या अधीक्षक जिसने उप परिचर्या अधीक्षक और सहायक परिचर्या अधीक्षक की श्रेणियों में कुल मिलाकर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण :—

1. जहाँ ऐसे कानिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपना अर्हक/पालता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है/हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनमें द्वारा की गई सेवा अपेक्षित अर्हक/पालता सेवा से एक वर्ष से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपना परीक्षा अर्हक, यदि विहित हो, सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
2. प्रोन्नति के लिए पालता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी श्रेणी/पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिवेश में तैयार की जाएगी।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

- (क) (i) जो नियमित आधार पर गृह पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने 2000-3500 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्षों को नियमित सेवा की है; या
- (iii) जिन्होंने 2000-3200 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्षों की नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परिचर्या शिक्षा और प्रशासन में डिप्लोमा है और जो रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रीकृत संश्लेषक हैं।

(प्रायक प्रधर्म के ऐसे विश्वविद्यालय अधिकारी जो प्रोन्नति को सीधा पथ में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

(प्रतिनियुक्ति की अधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कोडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अधि है, साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

आयोग से परामर्श किया जाएगा।

13

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग--अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय--सदस्य
3. अपर महानिदेशक/उप-महानिदेशक--सदस्य
4. निदेशक (प्रशासनिक मतर्कता)--सदस्य
5. परिचर्या सहायक--सदस्य

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :

1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय--अध्यक्ष
2. अपर महानिदेशक/उप-महानिदेशक--सदस्य
3. निदेशक (प्रशासनिक और मतर्कता)--सदस्य
4. परिचर्या सहायक--सदस्य
5. उप-निदेशक प्रशासनिक (संबद्ध)--सदस्य

टिप्पण :—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समितियों की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

14

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[संख्या 11018/10/93-आर आर (एम०ई०)(यूजी०)]

आर० राममूर्ति, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th June, 1995

G.S.R. 301.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani and Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi Recruitment Rules, 1987 in so far as they relate to the post of Nursing Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' post of Nursing Superintendent in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital and Kalawati Saran Children Hospital namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital and Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi (Nursing Superintendent) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified

in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Nursing Superintendent	*2(two) (1995)	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	Selection
*Subject to depending on workload.				
Whether benefit of added/years of service admissible/under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.		
6	7	8		
Yes	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladkha, Division of Jammu and Kashmir State, Ladhak and Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (i) Master in Nursing/M.Sc. Degree in Nursing from a recognised University or equivalent. (ii) Should be a Registered Nurse and Registered Midwife. (iii) 3 years' experience in Nursing in a Hospital/Nursing Home. Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note : 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case or promotees	Period of Probation	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentages of the vacancies to be filled by various method		
9	10	11		
Age : No Educational Qualifications : No, but should possess Diploma in Nursing Educational Administration or B.Sc. Nursing from a recognised University or equivalent and should be a Registered Nurse and Registered Midwife	1 year for direct recruits and 2 years for promotees	Promotion, failing which by transfer on deputation, and failing both by direct recruitment.		

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
--	---	--

12	13	14
<p>Promotion :</p> <p>Deputy Nursing Superintendent, IHMC & Smt. S.K. Hospital and Kalawati Saran Children's Hospital with 3 years regular service in the grade ; failing which Deputy Nursing Superintendent Lady Hardings Medical College & Smt. S.K. Hospital and Kalawati Saran Children's Hospital with 5 years combined regular service in the grades of Deputy Nursing Superintendent and Assistant Nursing Superintendent.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman/Member' Union Public Service Commission—Chairman. 2. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare—Member. 3. Additional Director General/Deputy Director General—Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p>
<p>Note I: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Director (Administration and Vigilance)—Member 5. Nursing Adviser—Member. <p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare—Chairman. 	
<p>Note II: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Additional Director General/Deputy Director General—Member 3. Director (Administration and Vigilance)—Member. 4. Nursing Adviser—Member. 	
<p>Transfer on deputation : Officers under the Central Government --</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Deputy Director Administration (concerned)—Member. 	
<p>(a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or</p> <p>(ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000—3500/- or equivalent; or</p> <p>(ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000—3200/- or equivalent; and</p> <p>(b) possessing Diploma in Nursing Education and Administration or B.Sc. Nursing from a recognised University or equivalent and should be a Registered Nurse and Registered Midwife.</p>	<p>Note :—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall to be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>	

(The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

[No. A-11018/10/93-RR/ME(UG)]

R. RAMAMURTHY, Desk Officer

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(स्थापना अनुभाग)

नई दिल्ली, 6 जून, 1995

सा.का.नि. 302.—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, (परिवहन पक्ष) (संयुक्त निदेशक) (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग केन्द्र) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का सोच किया गया है, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) में संयुक्त निदेशक (इलेक्ट्रॉनिक डाटा संसाधन केन्द्र) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संज्ञित नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष), संयुक्त निदेशक (इलेक्ट्रॉनिक डाटा संसाधन केन्द्र) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा, जो इन नियमों से उपायुक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अथवा अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसको पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमोदित है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।